केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/98 दिनांक: 06.04.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00092
CICOM/R/2016/01246

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम – शोकहारा-2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
प्रो0 – बरौनी, जिला – बेगूसराय,
बिहार – 851112

निर्णय की तारीख : 06.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.09.2016
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.10.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.10.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	181874/25.10.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	117/05.04.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (ए.बी.) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. अपीलकर्ता का दिनांक 19.10.2016 का यह प्रथम अपील जो कि आयोग में दिनांक 25.10.2016 को डायराइज हुआ तथा डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 05.04.2017 को प्राप्त हुआ । संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 के तहत आयोग के प्रथम अपील आदेश सं. CIC/AA/A/2016/127 दिनांक 04.05.2016 के अनुपालन के संबंध में तथा बिंदु सं. 2 के तहत अपने शिकायत पत्र सं. 781/14 दिनांक 12.11.2014 पर की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना मांगी है । श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा प्रदान की गई सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रथम अपील आदेश सं. CIC/AA/A/2016/127 दिनांक 04.05.2016 जिसके तहत श्री उमेश चन्द्र जोशी, पूर्व उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (ए.बी.) कार्यालय को निर्देश दिया गया है, का अनुपालन किया गया या नहीं । आवेदन के बिंदू सं. 2 के संदर्भ में अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ शिकायत सं. 781/14 की प्रतिलिपि भी संलग्न किया है । अतः श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (ए.बी.) कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को उक्त प्रथम अपील आदेश के अनुपालन से संबंधित स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए, यदि आवश्यकता हो तो पूर्व उप-पंजीयक श्री उमेश चन्द्र जोशी की सहायता ली जा सकती है तथा प्रथम अपील आवेदन के साथ प्राप्त शिकायत सं. 781/14 की प्रति संलग्न करते हुएं निर्देश दिया जाता है कि उक्त शिकायत से संबंधित स्पष्ट सूचना भी उपलब्ध करवाई जाए ।

C.I.C. / के. सू. आ.
RECEIVED
07 APR 2017
Initials:......

---2/-

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (ए.बी.) कार्यालय - शिकायत की प्रतिलिपि संलग्न ।